न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : दीपेन्द्र सिंह राठौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 93/2016 (राजस्व अपील) **दायर दिनांक 23.12.2016**

श्री शांतिलाल पिता भागीरथ ब्राहमण, निवासी करोली,
तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

..... अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी,
तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बडीसादडी बमिसल नं. 572/2016 निर्णय दिनांक 08.12.2016

उपस्थितः– वकील अपीलान्टः– श्री छोगालाल जाट
विपक्षी :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 04.01.2019**

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय मे पटवारी हल्का पुनावली द्वारा इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने मौजा करोली क आराजी नम्बर 787 में से रकबा 0.21 हैक्टर एव आराजी नम्बर 789 रकबा 0.43 हैक्टर पर संवत् 2073 मे अतिक्रमण कर पडत व बाडा बना रखा है व अपीलान्ट अतिक्रमी ने पूर्व मे भी मक्का काश्त की है जिससे उसके विरूद्ध अतिक्रमण कि कार्यवाही अमल में ली जाकर बेदखल किया जावे। उक्त आशय की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर तारीख पेशी 02.03.2016 को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने श्रीमान् के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित की गयी। जिस पर सुनवाई की जाकर अधिनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई का समूचित अवसर दिये बेदखल किये जाने व लगान का 50 गुना शास्ति आरोपति किये जाने का निर्णय एवं

आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का द्वारा जो दस्तावेजात पेश किये गये, उसके संबंध मे अपीलान्ट को कोई जिरह करने का अवसर नही देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा होना मानते हुए बेदखली व जुर्मान का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया। आराजी नम्बर 787,789 बडा रकबा होकर पट्टी के रूप में है, जो बागन नदी एवं खातेदारान की आराजीयात के बीच में आता है, जिस पर गांव के कई खातेदारान ने अपने अपने सर्वेले में कब्जे कर रखे है फिर भी गांव वालो की शिकायत के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की गई। अपीलान्ट का विवादित भू भाग पर अपने पूर्वजों से नियमित रूप से कब्जा चला आ रहा है, जो नियमन योग्य कब्जा है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बेदखली का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय दिनांक 08.12.2016 निरस्त फरमाई जाकर विवादित आराजियात का नियमन अपीलान्ट के नाम जारी किया जावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण पर रेस्पोडेन्ट (तहसीलदार बडीसादडी) ने दिनांक 18.01.2017 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय आदेश भूमि खाता सरकार चारागाह में दर्ज होने से न्याय संगत है। मौजा ग्राम करोली की आराजी नं. 787 कुल रकबा 2.14 हैक्टर भूमि चारागाह के खाते मे जमाबन्दी समत् 2068–71 दर्ज रेकार्ड जिसमें अपीलार्थी शांतिलाल ने 0.21 हैक्टर भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। जिसकी पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की। चूंकि भूमि खाता सरकार चारागाह मे दर्ज है एवं तहसीलदार ने भूमिधारी की हैसियत से भूमि बेदखली एवं शास्ति आदेश पारित किये गये है। श्रीमान् के प्रकरण संख्या 11/2016 निर्णय दिनांक 16.05.2016 के अनुसार अतिक्रमी (अपीलान्ट) को पुनः नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अतिक्रमी का गैरसायल (अतिक्रमी) की

उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट पटवारी अनुसार चारागाह भूमि पर अतिक्रमी (अपीलान्ट) का अतिक्रमण पाया गया। अतिक्रमी ने भी अतिक्रमण होना स्वीकार किया। अतिक्रमी द्वारा संवत् 2072 फसल रबी में आराजी नम्बर 787 में रकबा 0.21 हैक्टर पर अतिक्रमण किया एवं संवत् 2073 फसल खरीफ में पुनः आराजी नम्बर 787, 789 के रकबे 0.43 हैक्टर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। चूंकि उक्त दोनो आराजी चारागाह की है। भूमि खाता सरकार चारागाह में दर्ज होने से बेदखली के आदेश भूमिधारी द्वारा पारित करना न्याय पूर्ण है। आराजी नम्बर 787, 789 रेकार्ड अनुसार चारागाह की भूमि होने से बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित करना न्याय संगत है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अपीलान्ट द्वारा बार–बार अपील कर अनुचित लाभ लेना चाहता है। सरकारी चारागाह भूमि पर बिना विधि पूर्वक कब्जा करने से भूमि का नियमन किया जाना न्यायोचित नही है। जो कि भूमि किस्म चारागाह होने से नियमन किया जाना सम्भव नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत है। अतः अपील निरस्त फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया उक्त विवादित आराजियात अपीलान्ट के कब्जे में है तथा इससे पूर्व अपीलान्ट के पिता के कब्जे में थी। उक्त भूमि लगभग 50 वर्षो से अधिक समय से अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता के कब्जे से चली आ रही है एवं मौके पर काश्त की जा रही है। उक्त भूमि अपीलान्ट के पक्ष में नियमन योग्य है। अतः उक्त विवादित भूमि को प्रार्थी के पक्ष में नियमन किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बडीसादडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 को निरस्त किया जावें।

पत्रावली पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। उभय पक्ष के कथनों पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें विवादित आराजियात ग्राम करोली तहसील बडीसादडी की आराजी नम्बर 787 एवं

789 कुल किता 2 रकबा 0.43 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में चरागाह दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर काश्त करने के तथ्य स्वयं स्वीकार करते है तथा भूमि को नियमन करने का निवेदन किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित होता है। इस संबध में अधिनस्थ न्यायायल की पत्रावली पर ग्राम पंचायत पुनावली का पत्र दिनांक 29.06.2016 से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत की कोरम में प्रस्ताव लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण को नियमन करने के संबंध में कोई दस्तावेज अथवा सबूत प्रस्तुत नही किये है। वस्तुतः प्रकरण पर प्रश्नगत आराजी भूमि किस्म चरागाह होने से नियमन की श्रेणी में नही आती है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 11/2016 निर्णय दिनांक 16.05.2016 से अधिनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये गये कि अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का पुनः परीक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा अपना पक्ष रखने के संबंध में कोई तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये है। उपरोक्त विवरण एवं तथ्यों के आधार पर विवादित आराजियात के संबंध में अपना पक्ष साबित नही कर पाया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2019 खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौड़गढ़